

## प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

(लामार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक BLC)

अनुदान हेतु आवेदन -पत्र

पंचायत समिति का नाम:-

फोटो एवं  
हस्ताक्षर

नगर निकाय का नाम..... जिला..... वार्ड संख्या..... गाँव का नाम:-

शहर..... जिला..... वार्ड संख्या..... गाँव का नाम:-

- 1 आवेदक का नाम : .....
- 2 पिता/पति का नाम : .....
- 3 जाति (सामान्य, एस.टी.,एस.टी.,ओ.बी.सी, अल्प संख्याक, अन्य) : .....
- 4 पूर्ण पता : .....
- वर्तमान पता : .....
- स्थायी पता : .....
- 5 भूखण्ड का विवरण जिस पर आवास निर्माण/अभिवृद्धि प्रस्तावित है :-  
भूखण्ड संख्या स्कीम का नाम, भूखण्ड कहाँ स्थित है : .....
- भूखण्ड का माप/क्षेत्रफल : .....
- भूखण्ड रिक्त है (हाँ या नहीं) : .....
- यदि भूखण्ड पर पूर्व से आवास निर्मित हो तो निर्मित कुल क्षेत्रफल : .....
- प्रथम मंजिल का निर्मित क्षेत्रफल : .....
- द्वितीय मंजिल का निर्मित क्षेत्रफल : .....
- भूखण्ड का पट्टा अभिलेख जारी है (हा या नहीं) : ..... (पट्टे की प्रतिलिपि संलग्न करें)
- 6 आवेदक के परिवार की वार्षिक आय : .....(स्व घोषणा पत्र संलग्न करें)
- 7 आवेदक एवं परिवार के एक सदस्य का आधार नम्बर (आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें) (वैवाहित हेतु पति/पत्नि अन्यथा परिवार के सदस्य का आधार कार्ड) : .....
- 8 आवेदक का स्थायी फोन/मोबाईल नं. : .....
- 9 अनुदान का प्रयोजन (नवीन आवास निर्माण/आवास वृद्धि) : .....
- 10 क्या पूर्व में भवन निर्माण हेतु कोई अनुदान लिया है (हाँ या नहीं) : .....
- 11 प्रस्तावित निर्माण विवरण : ..... वर्ग फीट
- नवीन निर्माण क्षेत्रफल : ..... वर्ग फीट
- वर्तमान आवास में अभिवृद्धि (प्रस्तावित क्षेत्रफल) : ..... वर्ग फीट
- प्रस्तावित कुल निर्माण क्षेत्रफल अनुमानित लागत : ..... रुपये

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत क.स 1 से 11 तक की सूचना सही है।

दिनांक:-

हस्ताक्षर प्रमाणिकता

स्थान:-

नाम:-

पद:-

मोबाईल:-

## समस्त आवेदको के लिये

शपथ - पत्र

मैं.....पुत्र/पत्नी श्री..... जाति  
 .....निवास..... तहसील.....  
 ..... जिला..... में निवास करता/करती हूँ। मेने प्रधानमंत्री  
 आवास योजना सबके लिये आवास 2022 (शहरी) के अन्तर्गत स्वयं के द्वारा आवास का  
 निर्माण अथवा विस्तार के लिये अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। मैं शपथ-पत्र के  
 माध्यम से स्वीकार करता/करती हूँ कि:-

1. मेरे द्वारा देश में किसी भी अन्य स्थान पर स्वयं का मकान नहीं है।
2. आवास निर्माण हेतु उपलब्ध भूखण्ड मेरे स्वयं के स्वामित्व का है।
3. मैंने पूर्व में किसी भी आवासीय योजना की सब्सिडी नहीं ली है।
4. मेरे परिवार की वार्षिक आय रु 3 लाख से कम है।
5. मेरा भूखण्ड रिक्त है/कच्चा आवास है/21 वर्ग मीटर से कम का पक्का आवास निर्मित है।
6. मैं स्वयं के द्वारा आवास का निर्माण अथवा विस्तार हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास (शहरी) योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ।
7. मेरे वर्तमान भूखण्ड/आवास के नक्शे में आवास का निर्माण एवं विस्तार स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।
8. मैं स्वयं के द्वारा आवास के निर्माण अथवा विस्तार हेतु अनुदान के अलावा सलंगन एस्टिमेट के अनुसार शेष निर्माण लागत स्वयं के स्तर पर वहन करने को तैयार हूँ।
9. अनुदान प्राप्त करने के उपरान्त यदि निर्धारित अवधि में मेरे द्वारा किसी कारणवश निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया जाने की स्थिति में संबंधित निकाय/प्राधिकरण/न्यास मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है।

(नोटीराइज्ड सत्यापन)  
 (शपथ पत्र 50/-)

आवेदक के हस्ताक्षर

## प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U)

### सबके लिये आवास-2022

.....  
लाभार्थी के स्वयं द्वारा आवास का निर्माण अथवा विस्तार हेतु रु 1.50 लाख तक के अनुदान की पात्रता हेतु चैक स्लिप:

लाभार्थी का नाम.....

पता-.....मोबाईल न. ....

आधार न. ....

क्रम संख्या	विवरण	हाँ/नहीं
1	क्या लाभार्थी के परिवार के नाम देश में किसी भी अन्य स्थान पर स्वयं का मकान है? (यदि नहीं है तो शपथ पत्र सलंगन करें)	
2	क्या लाभार्थी का भूखण्ड जिस पर कच्चा/पक्का मकान बना हो, स्वयं के स्वामित्व का है? संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य यथा पट्टा/ मूल आवंटन पत्र सलंगन करना अनिवार्य है।	
3	क्या लाभार्थी ने पूर्व में किसी आवासीय योजना की सब्सिडी ली है? (शपथ पत्र सलंगन करें)	
4	क्या लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय रु 3 लाख या इससे कम है? (स्व घोषणा पत्र सलंगन करें)	
5	क्या लाभार्थी का भूखण्ड रिक्त है अथवा कच्चा आवास है?	
6	यदि लाभार्थी का पक्का मकान है तो क्या वह 21 वर्ग मीटर तक या इससे कम है?	
7	क्या लाभार्थी के नाम से बैंक खाता है?	
8	क्या लाभार्थी के पास पति/पत्नी का आधार कार्ड है?	
9	क्या लाभार्थी के वर्तमान भूखण्ड/आवास के साईट प्लान एवम नक्शे में आवास का निर्माण एवं विस्तार स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है?	
10	क्या लाभार्थी के द्वारा प्रस्तावित आवास निर्माण का एस्टीमेट सलंगन है?	
11	क्या लाभार्थी आवास के निर्माण अथवा विस्तार हेतु अनुदान के अलावा एस्टीमेट के अनुसार शेष निर्माण लागत स्वयं के स्तर पर वहन करने को तैयार है?	

हस्ताक्षर वार्ड/जोन

आवेदक के हस्ताक्षर

वार्ड/जोन प्रभारी अनुशंसा

मे लाभार्थी को अनुदान देने हेतु अनुशंसा करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर पार्षद

वार्ड संख्या प्रभारी

निकाय/प्राधिकरण/न्यास (राज.)

सलंगन आवश्यक दस्तावेज:-

1. लाभार्थी के दो फोटो पासपोर्ट साईज
2. अनुदान प्राप्त करने हेतु आधार कार्ड की फोटो कॉपी
3. आय प्रमाण पत्र हेतु स्व घोषणा पत्र
4. मकान का पट्टा/मूल आवंटन पत्र
5. प्रस्तावित आवास का साईट प्लान, नक्शा एंव एस्टीमेट
6. शपथ-पत्र

नोट:-

1. केवल आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिये।
2. नये घर के निर्माण के लिए न्यूनतम 21 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं अधिकतम 30 वर्गमीटर क्षेत्रफल।
3. विद्यमान मकान के विस्तार के लिए कम से कम 9 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल का निर्माण आवश्यक है जिसमे कम से कम 1 कमरे का निर्माण प्रस्तावित हो।

निकाय द्वारा तैयार की जाने वाली परियोजना रिपोर्ट में निम्न सूचनाएँ सम्मिलित किया जाना आवश्यक है :-

1. परियोजना का संक्षिप्त विवरण।
2. परियोजना के दिशानिर्देशिका के अनुसार निर्धारित परिशिष्ट 7सी एवं 7डी (प्रारूप संलग्न)।
3. सिटी प्रोफाईल।
4. 30 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल का नक्शा (सुलभ सन्दर्भ हेतु नमूना संलग्न)।
5. परियोजना में शामिल किये जाने वाले सभी आवेदकों के आवास निर्माण की कुल अनुमानित लागत का विवरण। (रूडसिको कार्यालय द्वारा 30 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्र का सैम्पल एस्टीमेट तैयार किया गया है जो कि सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है निर्माण क्षेत्र में भिन्नता की स्थिति में एस्टीमेट निकाय स्तर पर तैयार किया जाकर परियोजना रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है)।
6. नवीन आवास निर्माण एवं अभिवृद्धि हेतु प्राप्त आवेदनों को पृथक- पृथक परियोजना रिपोर्ट के साथ प्रेषित किया जाना है।
7. आवेदकों की सूची प्रारूप "क" एवं "ख" के अनुसार।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बीएलसी घटक के तहत लाभार्थी की पात्रता

केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक "व्यक्तिगत लाभार्थी आधारित आवास निर्माण (BLC)" के अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा नवीन आवास निर्माण/अभिवृद्धि करने हेतु राशि रू. 1.50 लाख तक का अनुदान देय है। अनुदान प्राप्ति हेतु लाभार्थी की पात्र शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- (i) आवेदक की सालाना आय राशि रू. 3.00 लाख तक होनी चाहियें।
- (ii) आवेदक का सम्पूर्ण भारत में कहीं पर भी पक्का आवास ना हो।
- (iii) भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित किसी भी आवासीय योजना में अनुदान प्राप्त नहीं किया हो।
- (iv) आवेदक के स्वयं के नाम भूखण्ड/पट्टा के दस्तावेज होने चाहिये।
- (v) यदि आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है (विवाहित अथवा अविवाहित) तथा स्वयं के नाम भूखण्ड नहीं है तो वह माता-पिता या सास-ससुर के नाम भूखण्ड पर निर्माण के लिये आवेदन कर सकता है। इस हेतु माता-पिता या सास-ससुर का अनापत्ति शपथ पत्र अनिवार्य है।
- (vi) आवेदक विवाहित है तो स्वयं का आधार कार्ड व पत्नी/पत्नि का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। यदि अविवाहित/विधवा है तो परिवार के किसी भी एक सदस्य का आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- (vii) नवीन आवास निर्माण की स्थिति में 30 वर्ग मीटर कार्पेट एरिया का आवास निर्माण आवश्यक है, जिसमें दो कमरे, एक किचन, शौचालय एवं स्नानघर का समावेश अनिवार्य है।
- (viii) यदि 30 वर्ग मीटर कार्पेट एरिया आवास निर्माण हेतु भूमि का क्षेत्रफल कम है तो आवेदक दो मंजिला आवास निर्माण के लिये आवेदन कर सकता है, जिससे प्रथम तल व उपरी तल का कुल कार्पेट एरिया 30 वर्ग मीटर हो सके।
- (ix) यदि आवेदक पूर्व में निर्मित पक्के आवास में अभिवृद्धि करना चाहता है तो पूर्व में निर्मित पक्के आवास का कार्पेट एरिया 21 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिये तथा अभिवृद्धि में कम से कम एक कमरे का निर्माण होना आवश्यक है।

\*\*\*\*\*